प्रकरण संख्या 20/2022 नरेश बनाम ममता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सादडी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी की आराजी नंबर 582, 583, 1336, 1378, 1467, 1468, 1471 से 1479, 1905 व 1906 कुल किता 17 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से सुविधानुसार विभाजन कर काश्त कर रहे हैं। वादी को चुन्नीलाल पिता हीरालाल ने नाबालिंग अवस्था में गोद रखा। चुन्नीलाल के कोई जाइन्दा संतान नहीं है तथा उनके राशन कार्ड में वादी पुत्र के रूप में अंकित है। गोदनामा पंजीकृत है तथा चुन्नीलाल की मृत्यु पर उसका क्रिया कर्म वादी द्वारा द्वारा किया गया है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में आराजियात अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने से वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वादी को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2022 से अपीलान्ट/वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री रामलाल जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, किन्तु अधिवक्ता ने निर्णय की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी, जिससे अपीलान्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। कोविड 19 के बाद अपीलान्ट ने पेशी के बारे में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर ... के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित आधारों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कोविड 19	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Shaktawat
Date: 2024.02.05 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.01/2020 suo moto बनाम भारत संघ में पारित दिशा निर्देशों के विपरीत निर्णय पारित किया है। प्रकरण में जनरल तारीख प्रदत्त कराये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण विपक्षी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रकरण बहस हेतु नियत होने के बावजूद वादी अथवा इनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रकरण विपक्षी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 के प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 12.08.2021 के लिए नियत था। इसके बाद आगामी तीन पेशियों पर पीठासीन अधिकारी भ्रमण/अवकाश पर होने से प्रकरण में पेशी दिनांक 14.03.2022 नियत की गयी, जिस दिन वादी अथवा उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि आदेशिका अनुसार प्रकरण विपक्षी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत था तथा वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/वादी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested